न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री धीरेन्द्रसिंह (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 78/2020

वादीगण

1. पनाराम पुत्र भगवानाराम उम्र 38 वर्ष
2. चुनाराम पुत्र भगवानाराम उम्र 25वर्ष जातियान जाट, निवासी बाछड़ाऊ, तहसील चौहटन हाल निवासी दुदिया कलां पटवार क्षेत्र मांगता, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर, राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मोहिब पुत्र मगन
2. लुकमान पुत्र मगन
3. हुसैन पुत्र मगन
4. शफीमोहम्मद पुत्र बिलालखान
5. युसबखान पुत्र बिलालखान
6. मुकियों पत्नी मगन
7. बिलालखान पुत्र हामीद
8. अलीखान पुत्र हामीद
9. दादलखान पुत्र हामीद
10. हुमायतखातून पत्नी मोहम्मदखान
11. सभाई पत्नी जुसबखान सभी जातियान मुसलमान, निवासी दूदिया कलां पटवार क्षेत्र मांगता
12. शाखा प्रबंधक आरएमजीबी शाखा मांगता (धोरीमन्ना)
13. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 92क, 188 व 209 काश्तकारी अधिनियम वास्ते घोषणा, बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा

तारीख रजू:– 22.10.2020

अधिवक्ता:– श्री देवाराम चौधरी, अधिवक्ता वादीगण

–: : निर्णय : :–

दिनांक:–06.03.2024

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री देवाराम चौधरी द्वारा राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 88, 53, 92क, 188 व 209 काश्तकारी अधिनियम वास्ते घोषणा, बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा दुदिया कलां पटवार क्षेत्र मांगता तहसील धोरीमन्ना में वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 319/238 रकबा 318–15 बीघा किस्म बारानी स्थित है जिसकी नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस साथ प्रस्तुत है। जो आगे वादपत्र में विवादित आराजी से सम्बोधित किया जाएगा। उपरोक्त खेत ग्राम दूदिया कलां के खसरा नम्बर 319/238 रकबा 318–15 बीघा में वादीगण का कुल रकबे में 127/2040 हिस्सा यानि रकबा 19–17 बीघा संपूर्ण खातेदारी भूमि को दिनांक 22.03.2017 पंजीयन संख्या 201703110100168 जिल्द संख्या 91 उप पंजीयक धोरीमन्ना श्री

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

सहायक कलक्टर (SDO) जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते
Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:40:00 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with OKEN Scanner

सुमारखां वल्द हामीद कौम मुसलमान साकिन दूदिया कलां (मागता) वाला से जरिए रजिस्टर्ड बैचान दस्तावेज द्वारा भूमि क्रय की थी। जिसका नामांतरकरण संख्या 352 दिनांक 05.05. 2017 के जरिए वादीगण का नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। उसी अनुसार वादीगण अपने कुल रकबे का 127/2040 हिस्से यानि रकबा 19–17 बीघा खातेदारी में दर्ज है, उसी अनुसार वादीगण अपनी खातेदारी घोषणा करवाना चाहते हैं। बैचान दस्तावेज की नकल साथ पेश है। उपरोक्त खेत मौजा दूदिया कलां पटवार क्षेत्र मांगता तहसील धोरीमन्ना में वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 319/238 रकबा 318–15 बीघा का 3 वर्ष पूर्व में भूमि क्रय की थी उसी समय मौखिक बंटवाड़ा किया हुआ है, बैचानकर्ता सुमारखां द्वारा वादीगण को कब्जा सुपुर्द कर दिया था, आपसी बाहमी बंटवारा किया हुआ है वादीगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि को प्राकृतिक खाद, बीज डालकर भूमि को उपजाऊ बनाया तथा मौके पर वादीगण के हिस्से में तारबंदी/बाड़ की हुई है, तथा रहवासीय ढाणी, टांका, विद्युत कनेक्शन आदि लिया हुआ है वादीगण का रहवास, आवासीय सरंचनाएं स्थापित की हुई है बाहमी बंटवारा माफिक वादीगण का कब्जा काश्त है। भूमि का बेचानकर्ता सुमारखां द्वारा बेचान कर 3 वर्ष मौके पर वादीगण को अपना कब्जा सौंप दिया था जिस पर खरीद से आज दिन तक वादीगण का बतौर मालिक, खातेदार, बैरोक–टोक, खुल्लम–खुल्ला कब्जा–काश्त चला आ रहा है। भूमि संयुक्त खातेदारी में होने एवं प्रत्येक खातेदारान का राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा खुल्ला हुआ नहीं होने से पक्षकारान् के मध्य विवाद रहता है वादीगण को अपने हिस्से की भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु, सहकारी संस्थाओं से ऋण आदि प्राप्त करने में भी अड़चने आती है। प्रतिवादीगण की सह–खातेदार, भूमि संयुक्त खातेदारी में होने का लाभ उठाकर अपने वास्तविक हिस्से से अधिक भूमि पर काबिज होने पर उतारू रहते हैं अतः वादीगण माफिक कब्जा–काश्त, आने–जाने रास्ते, सड़क पर सभी का समान भाग, बाहमी बंटवारा व बेचान दस्तावेज में वर्णित अपने कुल रकबे का 127/2040 हिस्से यानि रकबा 19–17 बीघा की भूमि को विभाजित करवाना चाहता है का वाद दायर किया था।

वादीगण का वाद दर्ज रजि. किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिए रजि. डाक से तलब किया गया, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 बावजूद सम्यक तामील के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश किए गए। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य वादी के दौरान साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू–01 (पन्नाराम पुत्र भगवानाराम), पीडब्ल्यू–02 (चुनाराम पुत्र भगवानाराम) प्रस्तुत किए जिन्हें सामिल मिसल किया गया तथा वादीगण के ब्यानों को कलमबद्ध किया गया। साक्ष्य के दौरान विभिन्न दस्तावेजों को प्रदर्श किया गया। प्रदर्श पी–01 (खतौनी बंदोबस्त मौजा दूदिया, तह. बा[illegible] सम्वत् 2012 से 2031 खसरा सं. 238 रकबा 321–09 बीघा किस्म बारानी सोयम), प्रदर्श पी–02 (जमाबंदी मौजा दूदिया, तह.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:40:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

गुड़ामालानी सम्वत् 2041 से 2044 खसरा सं. 238 रकबा 318–15 बीघा किस्म बारानी सोयम), प्रदर्श पी–03 (जमाबंदी मौजा दूदिया, तह. गुड़ामालानी सम्वत् 2049 से 2052 खसरा सं. 238 रकबा 318–15 बीघा किस्म बारानी सोयम), प्रदर्श पी–04ए (बैचान दस्तावेज, बैचान कर्ता सुमार खां वल्द हामीद, खरीददार पनाराम, चुनाराम पि. भगवानाराम, दिनांक–22.03.2017), प्रदर्श पी–05 (म्यूटेशन संख्या 352, दिनांक 05.05.2017), प्रदर्श पी–06 (जमाबंदी सम्वत् 2073–76, म्यूटेशन संख्या 352 की पालना खसरा संख्या 319/238 रकबा 318–15 बीघा किस्म बारानी सोयम), प्रदर्श पी–07 (नजरी नक्शा खसरा संख्या 319/238), प्रदर्श पी–08 (वर्तमान जमाबंदी खसरा संख्या 319/238 रकबा 51.5973 हैक्टैयर), प्रदर्श पी–09 (नजरी नक्शा वर्तमान) प्रदर्शित किए गए, तथा साक्ष्य वादी को पत्रावली पर बंद किया जाकर पत्रावली को बहस में नियत किया गया के बाद न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 26.07.2023 को निर्णय व प्राथमिक डिक्री व आदेश जारी किया था – " राजस्व मौजा– दूदिया कलां, पटवार हल्का मांगता, तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 319/238 रकबा 51.5973 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की आई हुई है। उपर्युक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण के नाम 127/2040 हिस्सा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2077 के खाता सं. 45 के खसरा संख्या 319/238 रकबा 51.5973 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का बंटवारा बाई–मिट्स–एण्ड–बाउण्ड्स के मौके पर करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग किया जावें तथा शेष खाता बदस्तूर रखें। तहसीलदार धोरीमना को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित् करें। वादीगण को पाबंद किया जाता है कि मौके पर उपस्थित रहे। वादीगण एवं प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नही करें।" की प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी।

न्यायालय हाजा द्वारा क्रमांक /कोर्ट/2023/569 दिनांक 21.12.2023 को प्राथमिक डिक्री मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने के लिए तहसीलदार धोरीमना को तहरीर जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:40:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार धोरीमना ने अपने पत्रांक:भू.अ./2024/447 दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्राथमिक डिकी की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत किया तहसील धोरीमना द्वारा दिनांक 07.02.2024 को मौके पर जाकर बंटवार प्रस्ताव की पालना में निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया –

क्र. सं.	नाम खातेदार विवरण	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान	रंग
1	1. चुनाराम पुत्र भगवानाराम 1/2 2. पनाराम पुत्र भगवानाराम 1/2 जाति जाट निवासी बाछड़ाउ हाल निवासी दूदिया कलां।	319/238	3.2124	बा.सो.	0.96	लाल
2	1. अलीखां पुत्र हामीद हिस्सा 64496/483849 2. दादलखां पुत्र हामीद हिस्सा 27265/483849 3. बिलालखां पुत्र हामीद हिस्सा 64496/483849 4. मुकियो पत्नी मगन हिस्सा 64496/483849 रहन (पूर्ण खाता) RMGB शाखा मांगता 5. मोहिब पुत्र मगन हिस्सा 64496/483849 रहन (पूर्ण खाता) RMGB शाखा मांगता 6. युसबखं पुत्र बिलालखां हिस्सा 9713/483849 7. लुकमान पुत्र मगन हिस्सा 64496/483849 रहन (पूर्ण खाता) RMGB शाखा मांगता 8. शफीमोहमद पुत्र बिलालखां हिस्सा 9713/483849 9. शफीमोहमदपुत्रविलायतखां हिस्सा 32375/483849 10. समाई पुत्र जुसबखां हिस्सा 4857/483849 11. हमायत खातून पुत्र सफी मोहम्मदखान हिस्सा 32375/483849 12. हुसैन पुत्र मगन हिस्सा 45071/483849 रहन (पूर्ण खाता) SBI शाखा धोरीमना जाति मुसलमान निवासी दूदिया कलां।	319/238	48.3849	बा. सो.	14.52	हरा

वादीगण वकील ने बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार साहब द्वारा मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिया हैं जो प्राथमिक डिक्री अनुसार है। मौके पर वादीगण का हिस्सा अलग किया जाएं। स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाएं।

पत्रावली का गहना से अवलोकन व अध्ययन किया गया, प्राथमिक डिकी की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया, बहस अधिवक्ता की सुनी गई, दौराने बहस अधिवक्ता वादीगण ने निवेदन किया कि माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद डिकि किया जाकर बंटवाड़ा किया जाने की इस्तदुआ की है तथा दौराने बहस निवेदन किया कि हमें बंटवाड़ा रिपोर्ट स्वीकार है लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट वादीगण का वाद अंतिम डिकि किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद स्वीकार किया जाना उचित व न्याय संगत समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:40:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

–: : आदेश : :–

अतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि राजस्व मौजा– दूदिया कलां, पटवार हल्का मांगता, तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की कृषि भूमि सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 319/238 रकबा 51.5973 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की भूमि का बंटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:–

क्र. सं.	नाम खातेदार विवरण	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान	रंग
1	1. चुनाराम पुत्र भगवानाराम 1/2 2. पनाराम पुत्र भगवानाराम 1/2 जाति जाट निवासी बाछड़ाउ हाल निवासी दूदिया कलां।	319/238	3.2124	बा.सो.	0.96	लाल
2	1. अलीखां पुत्र हामीद हिस्सा 64496/483849 2. दादलखां पुत्र हामीद हिस्सा 27265/483849 3. बिलालखां पुत्र हामीद हिस्सा 64496/483849 4. मुकियो पत्नी मगन हिस्सा 64496/483849 रहन (पूर्ण खाता) RMGB शाखा मांगता 5. मोहिब पुत्र मगन हिस्सा 64496/483849 रहन (पूर्ण खाता) RMGB शाखा मांगता 6. युसबखं पुत्र बिलालखां हिस्सा 9713/483849 7. लुकमान पुत्र मगन हिस्सा 64496/483849 रहन (पूर्ण खाता) RMGB शाखा मांगता 8. शफीमोहमद पुत्र बिलालखां हिस्सा 9713/483849 9. शफीमोहमदपुत्रविलायतखां हिस्सा 32375/483849 10. समाई पुत्र जुसबखां हिस्सा 4857/483849 11. हमायत खातून पुत्र सफी मोहम्मदखान हिस्सा 32375/483849 12. हुसैन पुत्र मगन हिस्सा 45071/483849 रहन (पूर्ण खाता) SBI शाखा धोरीमना जाति मुसलमान निवासी दूदिया कलां।	319/238	48.3849	बा. सो.	14.52	हरा

बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तहसीलदार धोरीमना द्वारा प्रस्तुत पत्रांकःभू.अ./2024/447 दिनांक 09.02.2024 का निर्णय का अभिन्न अंग माना जावे। वादीगण के कब्जे–काश्त में दखलअंदाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है, एक–दूसरे को किसी प्रकार की बाधा/रुकावट पैदा नहीं करें अन्तिम डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। तहसीलदार धोरीमना तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर जमा हो।

(धीरेन्द्रसिंह सोनी RAS)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
धोरीमन्ना (जिला–बाड़मेर)

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

निर्णय आज दिनांक– 06.03.2024 को सरे–ए–इज[illegible] सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:40:00 IST
Reason: SelfAttested

(धीरेन्द्रसिंह सोनी RAS)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
धोरीमन्ना (जिला–बाड़मेर)

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 21, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम धोरीमन्ना

बईजलास :– श्री धीरेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

वादीगण

1. पनाराम पुत्र भगवानाराम उम्र 38 वर्ष
2. चुनाराम पुत्र भगवानाराम उम्र 25वर्ष जातियान जाट, निवासी बाछड़ाऊ, तहसील चौहटन हाल निवासी दुदिया कलां पटवार क्षेत्र मांगता, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर, राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मोहिब पुत्र मगन
2. लुकमान पुत्र मगन
3. हुसैन पुत्र मगन
4. शफीमोहम्मद पुत्र बिलालखान
5. युसबखान पुत्र बिलालखान
6. मुकियों पत्नी मगन
7. बिलालखान पुत्र हामीद
8. अलीखान पुत्र हामीद
9. दादलखान पुत्र हामीद
10. हुमायतखातून पत्नी मोहम्मदखान
11. सभाई पत्नी जुसबखान सभी जातियान मुसलमान, निवासी दूदिया कलां पटवार क्षेत्र मांगता
12. शाखा प्रबंधक आरएमजीबी शाखा मांगता (धोरीमन्ना)
13. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।

मुकदमा नम्बर :– 78/2020

दावा बाबत् :–राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 92क, 188 व 209 काश्तकारी अधिनियम1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रू–ब–रू पक्षकारान व हाजरी उपस्थित मिनजानिव मुदई वादीगण वकील उपस्थित राज पेरोकार तहसीलदार धोरीमना मनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि **कि राजस्व मौजा– दूदिया कलां, पटवार हल्का मांगता, तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की कृषि भूमि सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 319/238 रकबा 51.5973 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की भूमि का बंटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:–**

क्र. सं.	नाम खातेदार विवरण	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान	रंग
1	1. चुनाराम पुत्र भगवानाराम 1/2 2. पनाराम पुत्र भगवानाराम 1/2 जाति जाट निवासी बाछड़ाउ हाल निवासी दूदिया कलां	319/238	3.2124	बा.सो.	0.96	लाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:40:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला–बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

2	1. अलीखां पुत्र हामीद हिस्सा 64496/483849 2. दादलखां पुत्र हामीद हिस्सा 27265/483849 3. बिलालखां पुत्र हामीद हिस्सा 64496/483849 4. मुकियो पत्नी मगन हिस्सा 64496/483849 रहन (पूर्ण खाता) RMGB शाखा मांगता 5. मोहिब पुत्र मगन हिस्सा 64496/483849 रहन (पूर्ण खाता) RMGB शाखा मांगता 6. युसबखं पुत्र बिलालखां हिस्सा 9713/483849 7. लुकमान पुत्र मगन हिस्सा 64496/483849 रहन (पूर्ण खाता) RMGB शाखा मांगता 8. शफीमोहमद पुत्र बिलालखां हिस्सा 9713/483849 9. शफीमोहमदपुत्रविलायतखां हिस्सा 32375/483849 10. समाई पुत्र जुसबखां हिस्सा 4857/483849 11. हमायत खातून पुत्र सफी मोहम्मदखान हिस्सा 32375/483849 12. हुसैन पुत्र मगन हिस्सा 45071/483849 रहन (पूर्ण खाता) SBI शाखा धोरीमना जाति मुसलमान निवासी दूदिया कलां।	319/238	48.3849	बा. सो.	14.52	हरा

बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तहसीलदार धोरीमना द्वारा प्रस्तुत पत्रांकःभू.अ./2024/447 दिनांक 09.02.2024 का निर्णय का अभिन्न अंग माना जावे। वादीगण के कब्जे-काश्त में दखलअंदाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है, एक-दूसरे को किसी प्रकार की बाधा/रुकावट पैदा नहीं करें अन्तिम डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। तहसीलदार धोरीमना तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर जमा हो।

नीज..............–...............मुबलिक..................–.............बाबत्.....–........खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर.....–........फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–........... को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 06.03.2024 को सरे ईजलास जारी किया गया।

मोहर

(धीरेन्द्रसिंह सोनी RAS)

सहायक कलेक्टर (एसडीओ)

धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:40:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner